सर्वप्रथम आवंटी/ठेकेदार को प्राधिकरण की वेबसाईट पर जाना होगा।

प्रक्रिया निम्न प्रकार है:—

**1. नामान्तरण :— 1.विक्रय पत्र पर** :— आंवटी को विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करवाने के लिये सर्वप्रथम प्राधिकरण की बेवसाईट www.adaajmer.org पर अपना पंजीयन कराते हुये अपना मोबाईल न. को रजिस्टर्ड करना होगा।

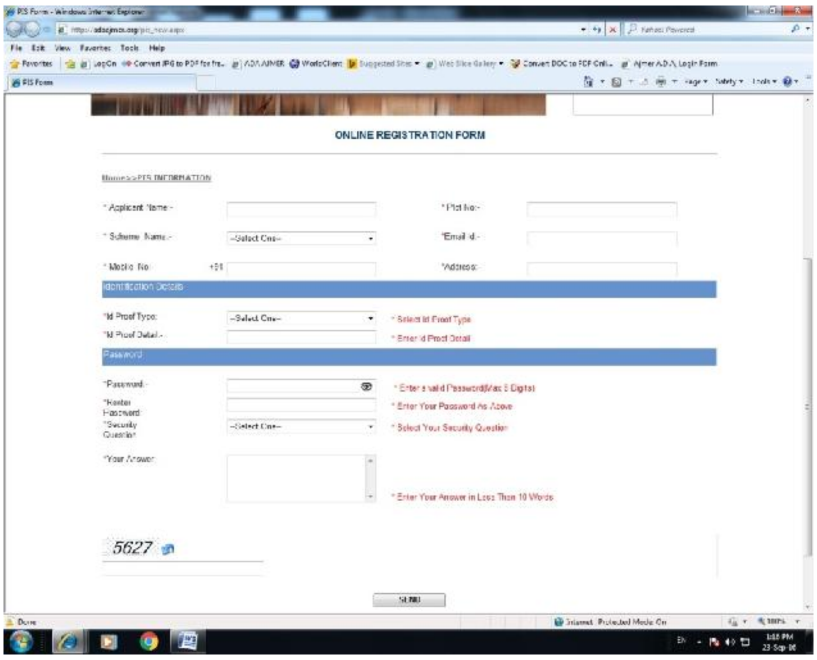


उसके बाद लॉगिन आईडी व पासवर्ड से लॉगिन कर के मुख्य पृष्ठ पर आ जायेगा।

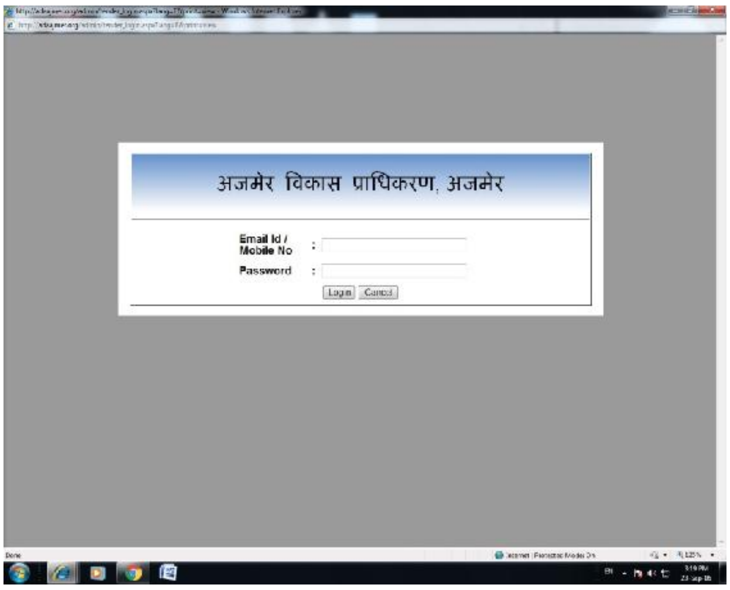


आवंटी को मुख्य पृष्ठ पर वांछित सूचना भरनी होगी जैसे नये आवंटी का नाम, पिता का नाम, पता, दिनांक आदि। उसके पश्चात वांछित दस्तावेजों को अपलोड भी करना पडेगा जैसे हस्तान्तरण अनुमति के चालान की मूल प्रति, विक्रय पत्र की मूल प्रति, समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना की प्रति(आम सूचना का प्रारूप प्राधिकरण की बेवसाईट पर उपलब्ध है।), पहचान पत्र की प्रति, उक्त सभी मूल दस्तावेजों को स्केन करके अपलोड करने होगें

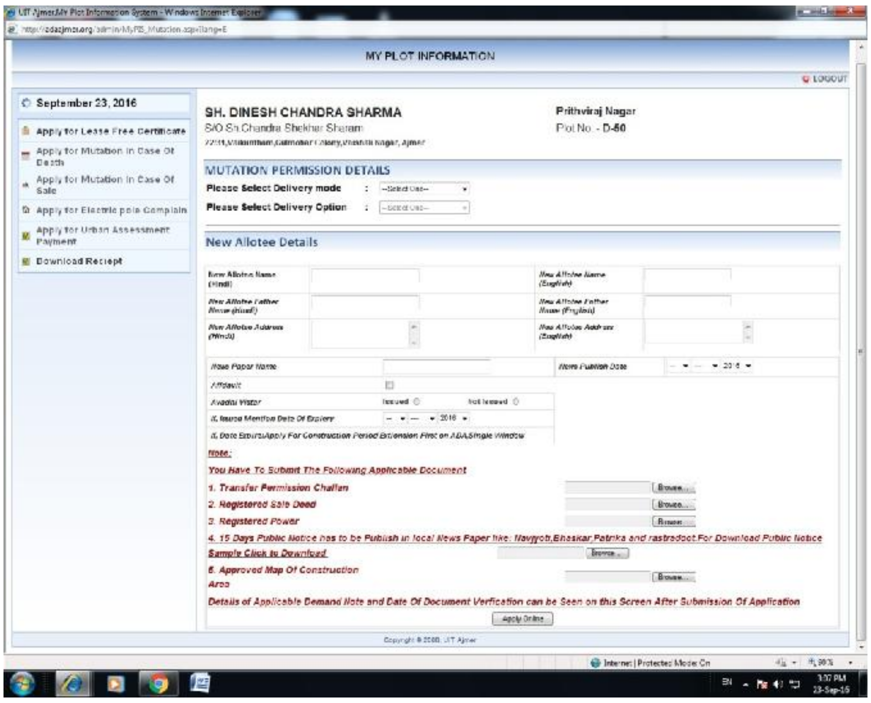


उसके उपरान्त आवंटी को ऑलाईन आवेदन करने के 3 दिवस में प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थिति होकर उक्त सभी दस्तावेजों की एक छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी जिससे नामान्तरण आदेश को तैयार पर आवंटी को ऑनलाईन व रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाया जा सकें।

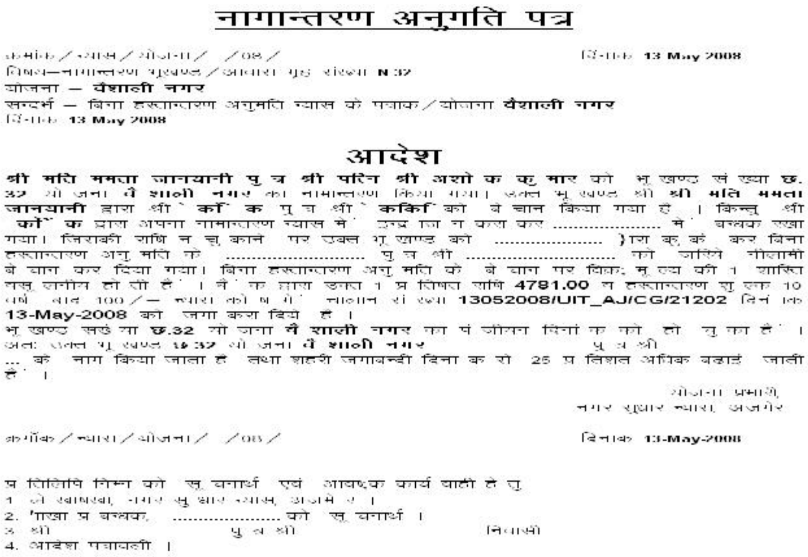

नामान्तरण अनुमति पत्र

क्रमांक / न्यास / योजना / / 08 / दिनांक 13 May 2008

विषय—नामान्तरण भूखण्ड / आवास गृह संख्या N 32

योजना — वैशाली नगर

सन्दर्भ — बिना हस्तान्तरण अनुमति न्यास के पत्रांक / योजना वैशाली नगर दिनांक 13 May 2008

आदेश

[illegible] 4781.00 [illegible] 13052008/UIT_AJ/CG/21202 दिनांक 13-May-2008 को जमा करा दिये है।

[illegible] 25 प्रतिशत अधिक बढाई जाती है।

योजना प्रभारी,
नगर सुधार न्यास, अजमेर

क्रमांक / न्यास / योजना / / 08 / दिनांक 13-May-2008

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. [illegible] नगर सुधार न्यास, अजमेर।
2. [illegible] को सूचनार्थ।
3. श्री पुत्र श्री निवासी
4. आदेश पत्रावली।

**2. मृत्यु होने पर** :– आवंटी की मृत्यु होने की दशा में आवंटी के वारिस (जो भी हो) सर्वथम प्राधिकरण की बेवसाईट से आम सूचना का प्रारूप लेकर किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित करना होगा आम सूचना प्रकाशित होने के 15 दिवस पश्चात प्राधिकरण में ऑनलाईन आवेदन करना होगा

जिसके लिये अपनी आईडी को लॉगिन करके मुख्य पृष्ठ पर वांछित सूचना भरनी होगी। जैसे वारिस का नाम, पिता का नाम, पता, आवंटी की मृत्यु की दिनांक, समाचार की नाम व आम सूचना प्रकाशित की दिंनाक आदि उसके पश्चात वांछित दस्तावेजो को अपलोड भी करने होगा। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, वासियत/सजरा/रजिस्टर्ड हक त्याग/शपथ पत्र की प्रति, समाचार पत्र में प्रकाशित आम सूचना की प्रति, पहचान पत्र की प्रति, उक्त सभी मूल दस्तावेजों को स्केन करके अपलोड करने होगें

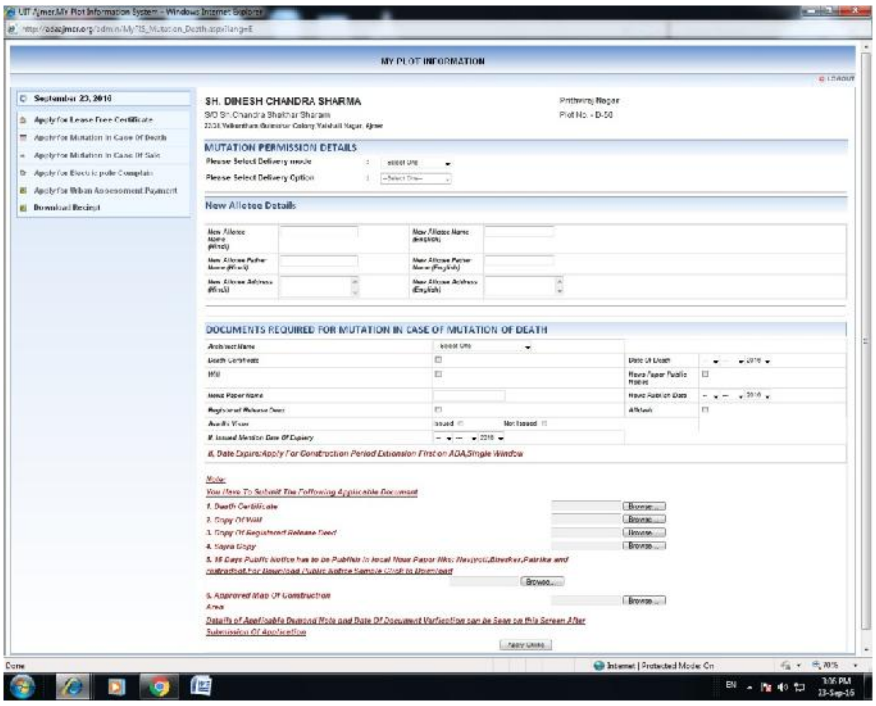


उसके उपरान्त आवंटी को ऑलाईन आवेदन करने के 3 कार्य दिवस में प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थिति होकर उक्त सभी दस्तावेजों की एक छायाप्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी जिससे नामान्तरण आदेश को तैयार पर आवंटी को ऑनलाईन व रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाया जा सकें।

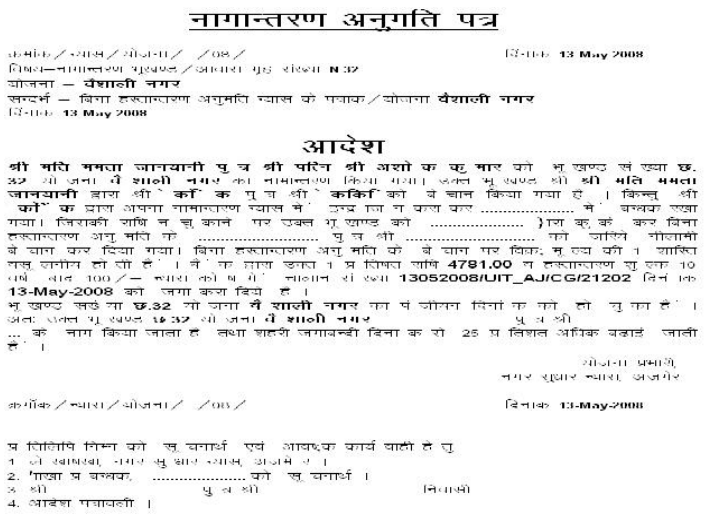
नागान्तरण अनुगति पत्र

दिनांक 13 May 2008

योजना – वैशाली नगर

सन्दर्भ – बिना हस्तान्तरण अनुमति न्यास के पत्रांक/योजना वैशाली नगर

दिनांक 13 May 2008

आदेश

श्री मति ममता जानयानी पुत्र श्री पति श्री अशोक कुमार को भूखण्ड संख्या छ. 32 योजना वैशाली नगर का नामान्तरण किया गया। [illegible] 4781.00 [illegible] 13052008/UIT_AJ/CG/21202 दिनांक 13-May-2008 को जमा करा दिये हैं।

[illegible] 25 प्रतिशत अधिक बढ़ाई जाती है।

योजना प्रभारी,
नगर सुधार न्यास, अजमेर

दिनांक 13-May-2008

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. [illegible]
2. [illegible] को सूचनार्थ।
3. श्री पुत्र श्री निवासी
4. आदेश पत्रावली।

2. **शहरी जमाबन्दीः–** शहरी जमाबन्दी जमा कराने के लिये आंवटी को अपनी आईडी से लॉगिन करके शहरी जमाबन्दी के लिये आवेदन करना होगा जिसके लिये उसे कब्जा पत्र की प्रति व अन्तिम जमा शहरी जमाबन्दी के चालान की प्रति अपलोड करनी होगी आवेदन करने के 2 कार्य दिवस में डिमांड नोट दिखने लग जायेगा जिसका वह भुगतान वह चाहे तो चालान से, RTGS/NFT से, ऑनलाईन से कर सकता है।

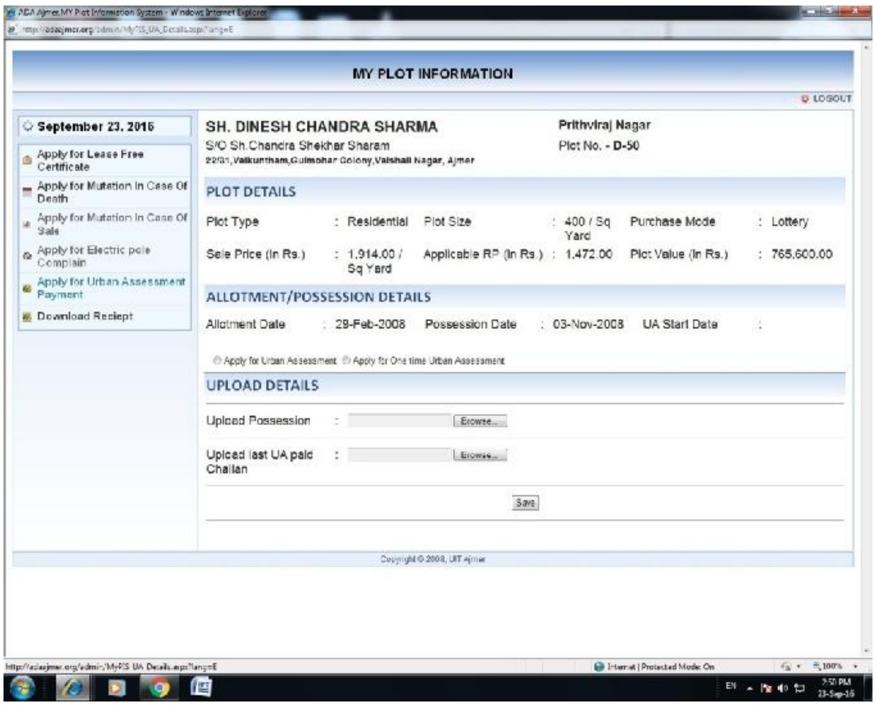


3. **लीज मुक्ति प्रमाण पत्र** :– लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के आवेदन करने के लिये आंवटी को अपनी आईडी से लॉगिन करके लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करना होगा जिसके लिये उसे एक मुश्त शहरी जमाबन्दी जमा के चालान की प्रति अपलोड करनी होगी आवंटी को ऑलाईन आवेदन करने के 3 कार्य दिवस में लीज मुक्ति प्रमाण पत्र तैयार पर आवंटी को ऑनलाईन व रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवा दिया जायेगा।

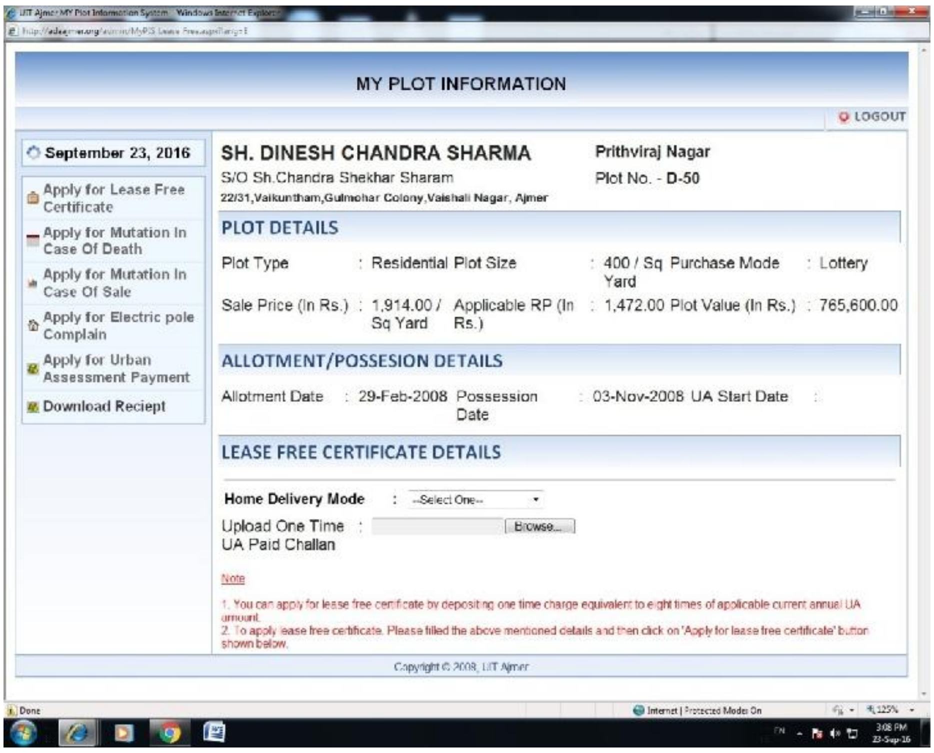


**4. सामुदायिक भवन/विश्राम भवन/जवाहर रंगमंच बुकिंग :–** आम जनता को जो भी सामुदायिक भवन/विश्राम भवन/जवाहर रंगमंच बुक करना है वह सर्वप्रथम प्राधिकरण की वेबसाईट पर जाकर यह देखेगा की उक्त भवन सम्बधित दिंनाक को खाली है या नही। उसके उपरान्त बुक बटन पर क्लिक कर उक्त भवन को बुक करा सकेगें

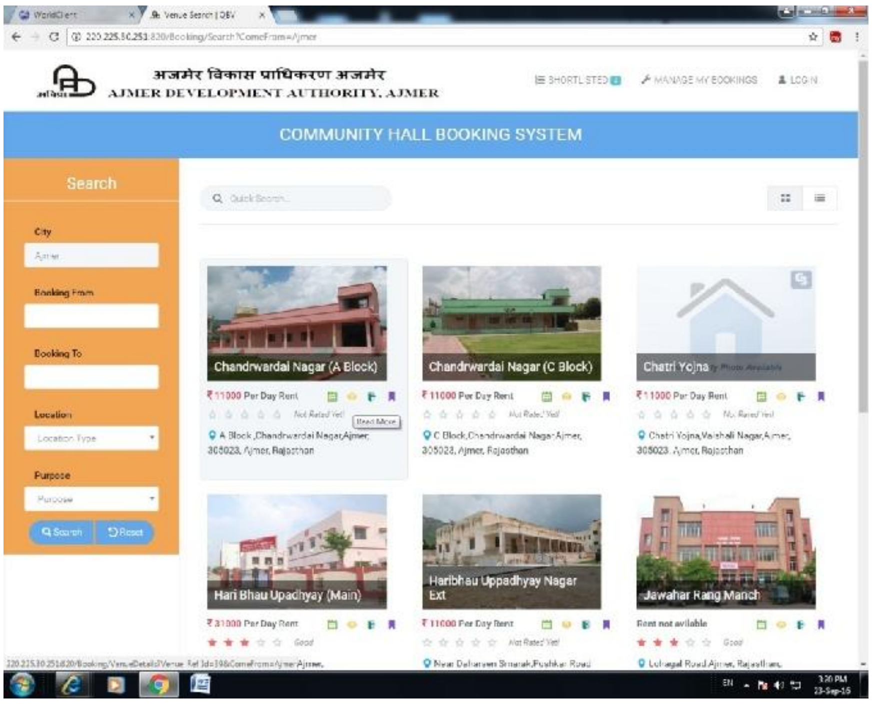


**5. निविदा की अमानत राशि :–** ठेकेदार किसी भी निविदा की अमानत राशि व निविदा शुल्क प्राधिकरण की वेबसाईट पर जाकर लॉगिन करके निविदा की अमानत राशि व

निविदा शुल्क ऑनलाईन जमा कराई जा सकेगी। ठेकेदार को लॉगिन आईडी के लिये सर्वप्रथम प्राधिकरण कार्यालय में अपना मोबाईल न0 रजिस्टर्ड कराने के पश्चात आईडी व पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

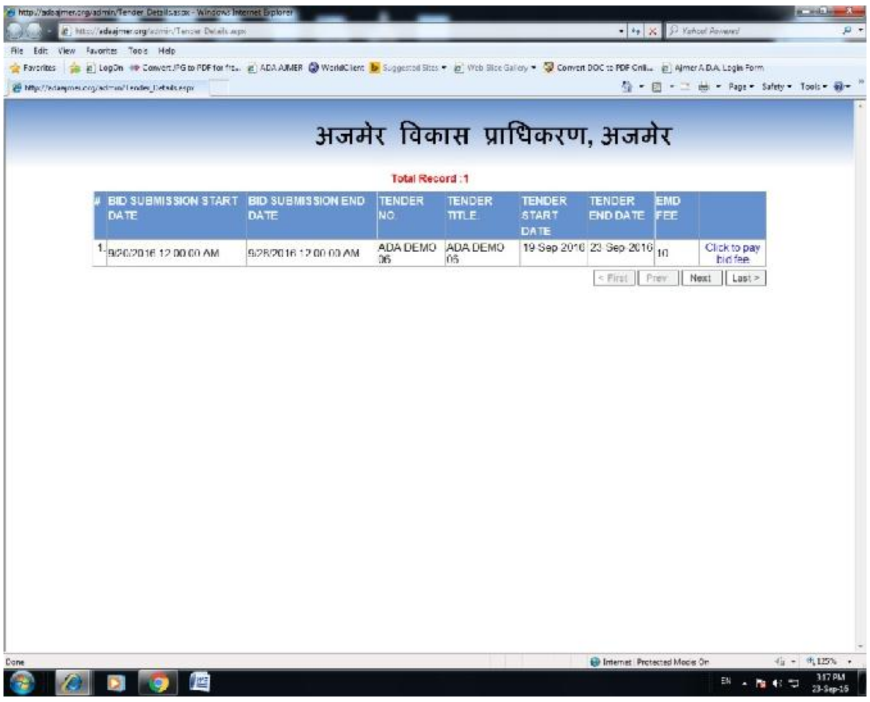


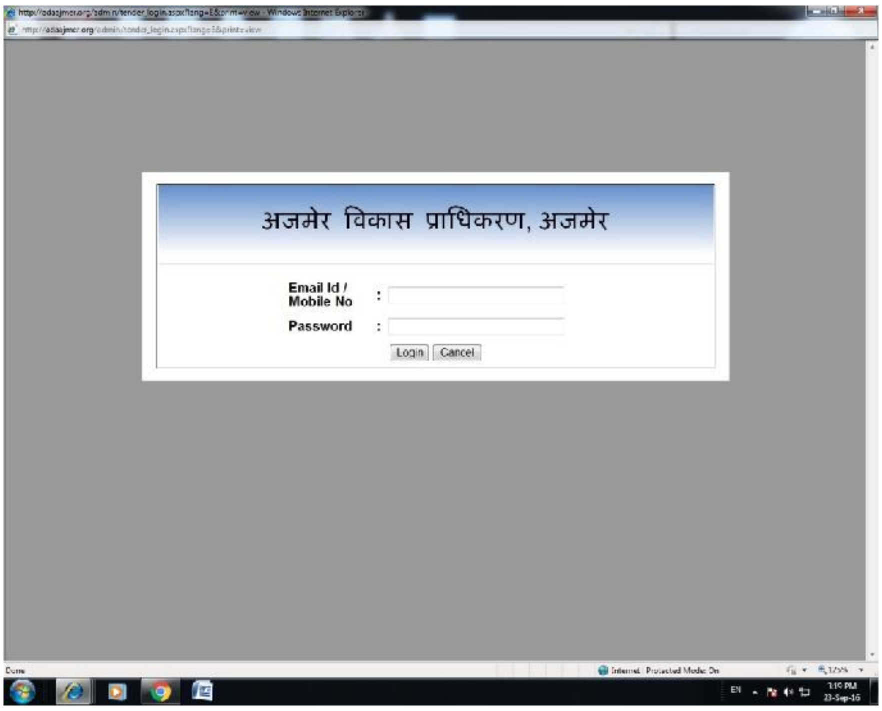

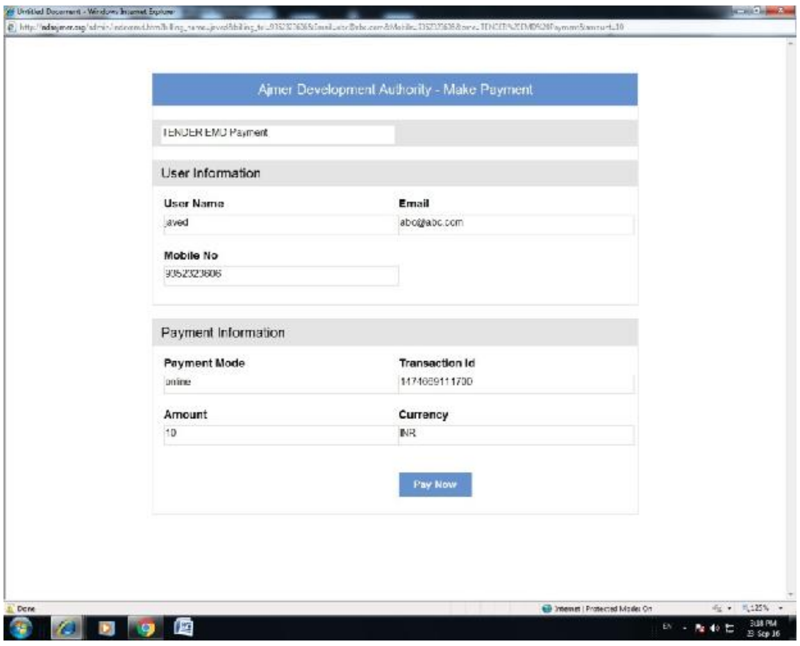

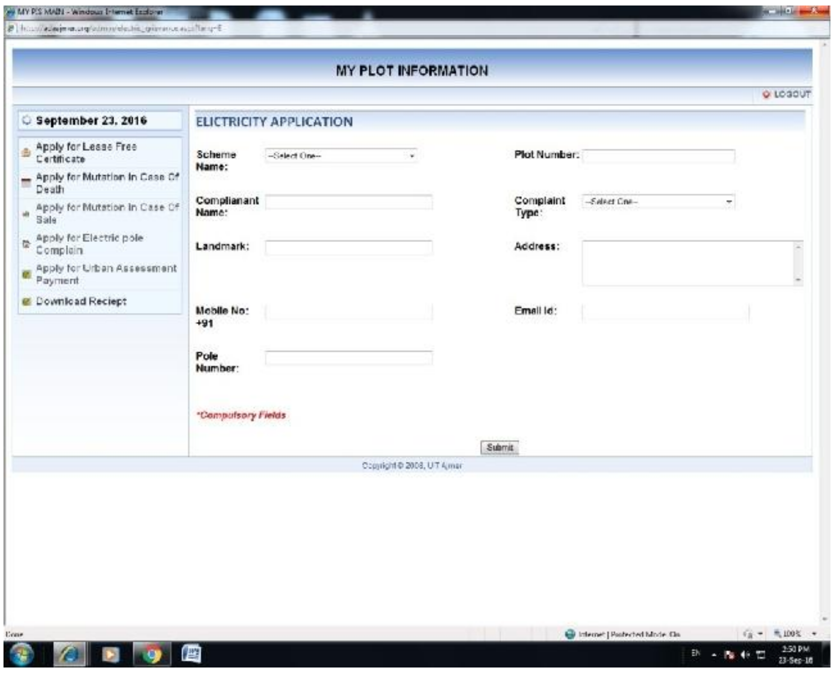
6. **विद्युत संबंधी शिकायत** :— प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी रोड लाईट की शिकायत कर सकेगें व शिकायत के निवारण की सूचना शिकायतकर्ता को एसएमएस के जरिये मिलती रहेगी।